संख्या- 22/2023 / 226 /चार-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2023

विषयः दिनांक 24-26 जनवरी, 2023 की अवधि में 'उत्तर प्रदेश दिवस-2023' को समारोह पूर्वक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस दिनांक 24 जनवरी पर वर्ष 2018 से त्रिदिवसीय (24-26 जनवरी) आयोजन निरन्तर किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के समस्त विभागों द्वारा अपनी सहभागिता सुनिश्चित की जाती रही है। वर्ष 2023 में 'उत्तर प्रदेश दिवस' का गरिमामय आयोजन जनसहभागिता के साथ निम्नवत् किये जाने का निर्णय लिया गया:

1. ''उत्तर प्रदेश दिवस'' का राज्य स्तरीय आयोजन लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम एवं नोयडा के नोयडा शिल्प ग्राम में तथा जिला स्तरीय आयोजन प्रदेश के अन्य सभी जिला मुख्यालयों में किया जायेगा। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रमों हेतु संस्कृति विभाग एवं नोएडा के राज्यस्तरीय आयोजन हेतु नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोडल होगें तथा अन्य समस्त जिलों में सम्बन्धित जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

2. वर्ष 2023 के ''उत्तर प्रदेश दिवस'' आयोजन की मुख्य थीम ''निवेश एवं रोजगार'' है, अत: निवेश एवं रोजगार पर आधारित संगोष्ठियां, रोड शो, उद्यमी सम्मेलन आदि कार्यक्रम प्रमुखता से आयोजित किये जायें।

3. इस आयोजन में निवेश एवं रोजगार, डिजिटल उत्तर प्रदेश, साइबर सुरक्षा व उन्नत प्राकृतिक कृषि विषयों पर प्रदर्शनियाँ आयोजित की जायें। संबंधित विभाग विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों, जनपदों की विशिष्ट प्रतिभाओं की सफलता की कहानी को भी फोटो, फिल्म, ब्रोशर के माध्यम से प्रदर्शित करें।

4. इस अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग/एम0एस0एम0ई0/नगरीय विकास विभाग (NULM)/ग्राम्य विकास विभाग (NRLM) /विभिन्न वित्त विकास निगम/ UPSIDA/ अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने उद्यमियों,व्यवसायियों व स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनियाँ भी लगवायें।

5. इस समारोह में नवीन कृषि तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी के अतिरिक्त मिलेट्स (मोटे अनाज) से बने खाद्य पदार्थों को भी प्रदर्शित किया जाये।

6. सूचना विभाग द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण एवं जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाये। प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं एवं परियोजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जायेगी। हस्त शिल्प

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन दिवसीय हस्त शिल्प एवं ग्रामोद्योग मेला संबंधित विभागों के माध्यम से लगाया जाये।

7. इस अवसर पर उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थापना से लेकर अब तक की विकास यात्रा से सम्बन्धित संकलित अभिलेखों की प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ सहित सभी कार्यक्रम स्थलों पर किया जाये। इस हेतु निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा प्रदर्शनी की पी0डी0एफ0 कॉपी सभी जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रिण्ट कराकर स्थानीय स्तर पर प्रदर्शित किया जायेगा।

8. विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के अन्तर्गत टूल किट, लाभार्थी कार्ड, छात्रवृत्ति आदि का सामूहिक वितरण कार्यक्रम एवं उक्त कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित संगोष्ठी/सेमिनार/परिचर्चा आदि का भी आयोजन किया जाये।

9. दिनांक 25 जनवरी, 2023 को सभी कार्यक्रम स्थलों पर राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता आदि के आयोजन सुनिश्चित किये जायें, जिनको जी-20 तथा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के विषयों से जोड़ा जाये।

10. खेल विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर के खेलों यथा-खो-खो, कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, किक्रेट, टेनिस, दौड़, बाधा दौड़ इत्यादि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला स्तर पर प्रतियोगितायें आयोजित कराते हुए खेलों का प्रदर्शन किया जाये। इस अवसर पर खेल विभाग द्वारा खेल से सम्बन्धित विभिन्न पुरस्कारों का वितरण भी किया जाये।

11. विभिन्न विभागों एवं जिलों की ऐसी विशिष्ट सफल प्रतिभाओं का सम्मान किया जाये, जो युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय हों। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के उन महानुभावों को चिन्हित किया जाये, जिन्होंने प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये हैं, ऐसे महानुभावों को कार्यक्रम स्थल पर आमंत्रित कर सम्मानित किया जाये।

12. लखनऊ के राज्य स्तरीय आयोजनों हेतु पर्यटन विभाग द्वारा रू0 50.00 लाख, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा रू0 50.00 लाख, एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा रू0 30.00 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा रू0 20.00 लाख, समाज कल्याण विभाग द्वारा रू0 20.00 लाख एवं संस्कृति विभाग द्वारा रू0 50.00 लाख की सहयोग राशि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के खाता संख्या-586602010000111, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शुगर कार्पोरेशन ब्रांच, लखनऊ आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0558664 में जमा करायी जायेगी। इस धनराशि से नोडल के रूप में संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक आयोजन, प्रदर्शनियाँ अन्य विविध गतिविधियां वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सुनिश्चित की जायेंगी।

13. नोएडा में राज्य स्तरीय आयोजन हेतु समस्त व्यय नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण के द्वारा 40:40:20 प्रतिशत के अनुपात में वहन की जायेगी। लखनऊ के अतिरिक्त अन्य जिलों में आयोजन हेतु संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद को रू0 2.00 लाख (दो लाख रूपये मात्र) की धनराशि आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत जिला पर्यटन व संस्कृति परिषद् के बैंक खातों में प्रदान की जायेगी। जिला स्तरीय आयोजन हेतु अतिरिक्त धनराशि का वहन विभिन्न विभागों को प्राप्त प्रचार-प्रसार मद (IEC) से सहयोग (कन्वर्जेन्स) धनराशि एकत्र कर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14. उत्तर प्रदेश दिवस-2023 का आयोजन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी अपनी अध्यक्षता में शीघ्र ही प्रदेश सरकार की विकास व कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित सभी विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उक्त आयोजन, प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु व्यापक तैयारी करा लें।

15. उत्तर प्रदेश दिवस-2023 के अन्तर्गत आयोजित समस्त कार्यक्रमों का विवरण एवं फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग के पोर्टल https://culturalevents.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

16. कृपया तद्नुसार 'उत्तर प्रदेश दिवस-2023' के सफल आयोजन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या- 22/2023/ 226(1)/ चार-2023,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त सम्बंधित विभाग।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा।
8. आयुक्त, ग्राम्य विकास/समाज कल्याण/श्रम/आवास ।
9. निदेशक, पर्यटन / सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन / खादी एवं ग्रामोद्योग /पंचायती राज/स्वास्थ्य/उच्चशिक्षा/माध्यमिक शिक्षा / महिला कल्याण / सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/ खेल/ युवा कल्याण / कृषि /आयुष (होम्योपैथिक/ यूनानी/ आयुर्वेदिक)।
10. पुलिस आयुक्त, लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर।
11. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,उत्तर प्रदेश ।
12. नगर आयुक्त ,लखनऊ।
13. प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को ।
14. निदेशक, संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।